

**\*@shahjahanpurpol\***

**\*प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक - 03.05.21\***

**\*थाना सिधौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,\***

**\*हत्या का किया सनसनीखेज खुलासा , पत्नी ही निकली पति की कातिल\***

**\*पत्नी के अवैध सम्बन्धों में की गयी थी पति की हत्या,पत्नी सहित 02 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार।\***

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजीव कुमार वाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं श्री नवनीत कुमार नायक क्षेत्राधिकारी पुवाया के पर्यवेक्षण में तथा श्री जगनारायण पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना सिधौली के कुशल नेतृत्व में थाना सिधौली पुलिस द्वारा सनसनीखेज हत्या की घटना का सफल अनावरण किया गया।

दिनांक 01.05.2021 को श्री राम केशन पुत्र श्री पुत्तू लाल निवासी ग्राम सुहेली थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अपने भाई रामसरन उर्फ बल्लू उम्र 40 वर्ष की हत्या अज्ञात अभियुक्त द्वारा करने के सम्बन्ध में थाना सिधौली पर मु0अ0स0 181/2021 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना सिधौली द्वारा सम्पादित की जा रही है।

उच्चाधिकारीगण द्वारा प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि हत्या जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है जिसका शीघ्र सफल अनावरण कर घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी करें। उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक जगनारायण पाण्डेय थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर द्वारा की जा रही गहनता से विवेचना करने पर अभियुक्तगण 1-अरुण पुत्र बाबूराम निवासीगण ग्राम सुहेली थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर 2- धीरज पुत्र भयन्नू निवासी रामपुरामदास मुल्लापुर थाना पसिंगवा जनपद खीरी लखीमपुर तथा (मृतक की पत्नी) अभियुक्ता गुड्डी पत्नी रामसरन उर्फ बल्लू निवासी ग्राम सुहेली थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर का नाम प्रकाश में आया। प्रकाश में आये उपरोक्त अभियुक्तगण को दिनांक 03.05.2021 को बिलन्दापुर तिराहे से सुबह 06.00 बजे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु समय से पेश किया जा रहा है।

**\*विवरण पूछताछ:-\***

दौराने पूछताछ अभियुक्त/अभियुक्ता से मृतक रामसरन उर्फ बल्लू की हत्या के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो अभियुक्ता गुड्डी के अवैध सम्बन्ध अभियुक्त अरुण व धीरज उपरोक्त के साथ होना पाया गया है। जिसके चलते उपरोक्त अभियुक्त/अभियुक्ता द्वारा सला मशबरा कर मृतक रामसरन उर्फ बल्लू की हत्या को अन्जाम दिया है। अभियुक्त की वाउम्मदगी/निशानदेही पर उपरोक्त अभियोग में हत्या में प्रयुक्त हुआ आलाक्तल एक अदद मोटी फण्टी/लकडी का डण्डा को बरामद किया गया है।

**\*नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-\***

- 1- अरुण पुत्र बाबूराम निवासीगण ग्राम सुहेली थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
- 2- धीरज पुत्र भयन्नू निवासी रामपुरामदास मुल्लापुर थाना पसिंगवा जनपद खीरी लखीमपुर
- 3- गुड्डी पत्नी रामसरन उर्फ बल्लू निवासी ग्राम सुहेली थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर

**\*आपराधिक इतिहास-\***

- 1-मु0अ0स0 181/2021 धारा 302/34 भादवि

**\*बरामदगी का विवरण-\***

हत्या में प्रयुक्त किया गया एक अदद मोटी फण्टी/लकडी का डण्डा बरामद ।

**\*अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टों का नाम-\***

- 1-प्रभारी निरीक्षक जगनारायण पाण्डेय थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर ।
- 2-उ0नि0 भारत सिंह थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर ।
- 3- हे0का0 245 राधेश्याम दीक्षित थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर ।
- 4--हेड का0 358 राजकिशोर थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर ।
- 5 महिला आरक्षी 1651 प्रियंका यादव थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर ।